## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2020

### सं. 75/2020-केन्द्रीय कर

**सा.का.नि. 635(अ).**—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का संकलित व्यापारावर्त रखते हैं, अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2021 तक प्रत्येक मास के लिए केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के अधीन **प्ररुप जीएसटीआर-1** में जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन तक बढ़ाते हैं ।

2. अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2021 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी ।

[फा. सं. सी बी ई सी-20/06/09/2019-जी एस टी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2020

### No. 75/2020 – Central Tax

**G.S.R. 635(E).**—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with, section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time-limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from October, 2020 to March, 2021 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time-limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. CBEC-20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2020

### सं. 76/2020-केन्द्रीय कर

**सा.का.नि. 636(अ).**—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, विनिर्दिष्ट करता है कि अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2021 तक के प्रत्येक मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिवस को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रूपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, गोवा राज्य, केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य, तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली संघ